न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

स्टाम्प निगरानी संख्या–27/2013–14 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प अधिनियम

श्री जमशैद अली

बनाम

राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

मौजा खेलपुर नसरूल्लापुर,
तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–194–एम0वी/2011–12 अन्तर्गत धारा–47ए स्टाम्प अधिनियम सरकार बनाम जमशैद अली में पारित निर्णयादेश दिनांक 17–10–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप निबन्धक, रूड़की की आख्या दिनांक 09–02–2012 जिसमें उल्लेख किया गया है कि विकीत सम्पत्ति का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। सम्पत्ति का लेखपत्र से मिलान किया गया। विक्रीत सम्पत्ति में आर0वी0सी0 युक्त एक टीनपोष निर्माण पाया गया जिसे पक्षकारों द्वारा लेखपत्र में स्टाम्प करावंच के उद्देश्य से जानबूझकर नहीं दर्शाया गया है तथा कमी स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क कुल रूपये 35,400–00 की कमी दर्शाकर वसूली हेतु अपर जिलाधिकारी, वित्त/जिला निबन्धक को प्रेषित की गई। अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार ने आदेश दिनांक 17–10–2013 से कमी स्टाम्प शुल्क रू0 28,000–00, निबन्धन शुल्क रू0 7,400–00 एवं शास्ति रू0 12,320–00 कुल रू0 47,720–00 आरोपित कर वसूली के आदेश पारित किये गये।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तार से सुनी तथा अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन है कि जिस खसरा नम्बर–657 से भूमि क्रय की गई है वह दो व्यक्तियों के नाम दर्ज है, विक्रेता नाथीराम ने अपने हिस्से की भूमि निगरानीकर्ता को विक्रय की है तत्पश्चात उनके द्वारा वहाँ खास फूल रखने हेतु टिनशेड का निर्माण किया है। उससे पूर्व का जो निर्माण आर0वी0सी0 युक्त है वह सहखातेदार झबल सिंह के हिस्से में बना हुआ है। अतः उसपर जो कमी स्टाम्प दर्शाया गया है वह गलत है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने अपनी लिखित बहस में उप निबन्धक द्वारा प्रस्तुत आख्या का ही उल्लेख किया है।

अवर न्यायालय की पत्रावली में जो आख्यायें दिनांक 04–09–2012 एवं 13–10–2012 लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख

किया गया है कि भूमि पर जो निर्माण किया गया है उसपर जमशैद का कब्जा नहीं पाया गया है। आख्या दिनांक 18–12–2012 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेख किया गया है कि भूमि में कोई बँटवारा या हिस्सा नहीं लगा है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जो भाग जमशैद अली ने क्रय किया है वह कौनसा है, क्योंकि पूर्व से ही सम्पूर्ण भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति तैय्यब अली का कब्जा है।

उक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत विक्रीत सम्पत्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि जमशैद अली द्वारा जो भूमि क्रय की गई है उसमें ही प्रश्नगत आर0सी0वी0 युक्त टिनशेड बना है या अन्य जगह पर। ऐसी स्थिति में सन्देह के आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है तथा निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2013 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 16/04/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।